

**राजस्थान सरकार**  
**अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक :स. 3-5(5)स्था/राजपत्रित/अभि/2016/612-50

जयपुर, दिनांक:- 01.09.2023

**आदेश**

निम्न अभियोजन अधिकारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक तौर पर लोकहित में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	इनवीन पदस्थापन	विधि
1.	सुश्री शोभारानी	सहायक निदेशक अभियोजन, एसीबी, भीलवाड़ा (पद विरुद्ध)	अपर लोक अभियोजक, ब्यावर, अजमेर (पद विरुद्ध)	श्री डायमण्ड सिंह के स्थान पर
2.	श्रीमती सरिता त्यागी	न्यायालय ए सी जे एम - 3 कोटा	अपर लोक अभियोजक, रामगंजमण्डी, कोटा (पद विरुद्ध)	श्री बृजवासी के स्थान पर
3.	श्री नेमीचन्द यादव	न्यायालय एसीजेएम 5, कोटा	सहायक निदेशक अभियोजन, एसीबी, कोटा (पद विरुद्ध)	रिक्त पद पर
4.	श्री अशोक कुमार राजौरा	न्यायालय एसीजेएम, छबड़ा, बारां	न्यायालय एसीजेएम 5, कोटा	श्री यादव के स्थान पर
5.	श्री रविकिशोर जोनवाल	न्यायालय एसीजेएम, बौली सवाईमाधोपुर	न्यायालय एसीजेएम, छबड़ा, बारां	श्री राजौरा के स्थान पर
6.	श्री अमित जोशी	न्यायालय ए सी जे एम - 2 अजमेर	न्यायालय ए सी एम एम (पीसीपीएनडीटी), जयपुर प्रथम	रिक्त पद पर

क्रम संख्या 4 एवं 6 पर अंकित स्थानान्तरण स्वेच्छक है, इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारी की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

(रवि शर्मा) 01/09/23  
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5. संबंधित अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन -----।
6. संस्थापन शाखा (राजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

(रवि शर्मा) 01/09/23  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर